

मूल चाच में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

निघातसिंह उत्र श्री भूपसिंह बनाम 1. भूपसिंह पुत्र भनफुत प्राहिपार

प्राहिपार नि० नेठराना 1 नि० नेठराना आदि

दावा बाबत :- 88 RTAए

मुकदमा नम्बर :- 132/19

निर्णय दिनांक :- 16.12.21

वादी की ओर से वकील रुद्र श्रवण महारण की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील सरवजीत डौर की उपस्थिति में इरु वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही भोजा चड 4 BRW के द्वारा म० 66/64 के मु० न० 16, 17, 25, 26 की कुल 2.0990 हे० व चड 5 BRW के द्वारा म० 51/55 के मु० न० 38, 39 की कुल 2.2770 हे० का प्रहिंसण भूपसिंह के नाम राजस्व रिजिस्ट्र में दर्ज है में लन्दा प्रिवारी म० 1 की वजाप वादी निघातसिंह उत्र दिसा, प्रिवारी म० 1 भूपसिंह 1/7 दिसा व प्रहिंसण 2 सिद्धीराम उत्र दिसा के खारेदार अष्टगर घोषि किमें जाते हो चुंडे प्रहिंसण उरा 6 ने अपना दड दिसा वादी ल्या प्रहिंसण 2 के पक्ष में ल्या उर धुन उर तिप है एमसिप ल्या उत्र दिसा पर निपमाउसाल पजीपत शूल्ड व धुमि भूमि लेंड रदन है हो रदन भुन होने पर निपमाउसाल उकोसाउसाल राजस्व रिजिस्ट्र में अंजन डा रिजिस्ट्र उरुनउरुं राजीरामा डो माप में डीही डा भाग पठा जावें

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़